संख्या–3772/49–3–2010–108/2010

प्रेषक,

कपिल देव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ,उ0प्र0
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक : 15 फरवरी, 2011

विषयः- नवसृजित जनपद छत्रपति शाहूजी महराजनगर में सहकारिता विभाग के लिए जनपदीय कार्यालय के गठन हेतु विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4471/स्था0क–1ए, दिनॉक 4–11–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित जनपद छत्रपति शाहूजी महराजनगर में सहकारिता विभाग के लिए जनपदीय कार्यालय के गठन के सम्बन्ध मे निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के अस्थायी पदों का सृजन किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0सं0	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान/ग्रेड वेतन
1–	जिला सहायक निबन्धक	01	15600–39100+5400
2–	वरिष्ठ लिपिक	01	5200–20200+2400

2– उक्त पद पूर्णतयः अस्थायी होगें तथा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 28–2–2011 तक मान्य रहेगें।

3– उक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–18 के अधीन मुख्य लेखा शीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन –03–सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण के अन्तर्गत संगत ईकाइयों के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या–18 में होने वाली सामान्य बचतों से वहन किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–2/898/दस–2010, दिनांक 10–2–2011 में प्राप्त सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कपिल देव)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–3772(1)/49–3–2010, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0सहकारिता मंत्री जी,उ0प्र0शासन।
2– निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0शासन।
3– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग,उ0प्र0शासन।

–2/–

4— वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 / वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 / 2 / 3
5— राजस्व अनुभाग–5 उ0प्र0शासन।
6— सहकारिता अनुभाग–1 / 2 / 3
7— महालेखाकार उ0प्र0इलाहाबाद।
8— जिलाधिकारी, छत्रपति शाहूजी महराजनगर, उ0प्र0।
9— कोषाधिकारी छत्रपति शाहूजी महराजनगर, उ0प्र0।
10— वित्त नियंत्रक, सहकारी समितियाँ,उ0प्र0, लखनऊ
11— वेब मास्टर, निबन्धक, सहकारी समितियाँ,उ0प्र0, लखनऊ।
12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम नारायण)
विशेष सचिव।